



- 37-रामस्वरूप पुत्र गोरधन
- 38-रामसिंह पुत्र रिछपाल
- 39-लीलाशम पुत्र भौवा
- 40-सरजीत पुत्र गोरधन
- 41-सुरेश पुत्र गोरधन
- 42-सारली पत्नि गोरधन

43-सारांश होटल एण्ड रिसोर्ट प्रा.लि. द्वारा निदेशक संजय पुत्र करण सिंह जाति अहीर, निवासी w/z-
63 मांढीपुर गांव नई दिल्ली

- 44-सीताराम पुत्र आनन्द
- 45-हरबाई पुत्री श्योदान
- 46-हरिराम पुत्र बोदू
- 47-हंसराज पुत्र गोरधन
- 48-हजारी पुत्र श्यामलाल
- 49-हरफूल पुत्र घीसाराम
- 50-हरिराम पुत्र यसराज
- 51-अनिता पुत्री सुल्तान
- 52-अशोक पुत्र सुल्तान
- 53-दीपचन्द पुत्र नेतराम
- 54-मनीता पुत्री सुल्तान
- 55-राजवीर पुत्र नेतराम

समस्त जातियान अहीर, निवासीयान निवासी कंवरपुरा तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर, राज0
56-नीलम पुत्री सुल्तान अहीर पत्नि लीलाराम, जाति अहीर, निवासी कंवरपुरा तहसील कोटपूतली हाल
जयसिंह पुरा, तहसील विराटनगर जिला जयपुर, राज0

57-भारतीय स्टेट बैंक, जरिये शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक वसई, तहसील कोटपूतली, जिला
जयपुर, राज0

58-राजरथान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार कोटपूतली, जिला जयपुर, राज0

59-उप पंजीयक महोदय, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर, राज0

— प्रतिवादीगण

दावा तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
वाद पत्र संख्या - 70/2020

यह मुकदमा आज बारते इनफिसाल कतई रुबरु व हाजरी.वकील वादी व वादीगण स्वयं मिनजानिब मुद्दई रुबरु की अनुपस्थिति में पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि आराजी खसरा नम्बर 287 रकबा 0.1807 हैक्टेयर वाकै मोजा कंवरपुरा तहसील कोटपूतली का कलावती पुत्री सुलतान पत्नी बनवारी लाल यादव जाति अई निवासी कंवरपुरा तहसील कोटपूतली हाल निवासी ढाणी ढाणी बाईवाली वार्ड न0 मोहनपुरा उर्फ खरखडा, नीमकाथाना, जिला सीकर, राज0 का खातेदार काश्तकार किया जाता है जिसे संलग्न नक्शे में गुलाबी रंग से प्रदर्शित किया गया है साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि उक्त आराजी में प्रतिवादीगण, वार्ड हिस्से की आराजी के कब्जा काश्त, उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजा



